



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 171728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26880 / 2026

राजदेव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : संदीप कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार मौर्य

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह तथा प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार पटेल को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 180 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वह अपनी सहमति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से आवेदक के साथ गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की आयु उसके विकिरणवैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार 17 से 18 वर्ष के मध्य पाई गई है, जबकि उसके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 15 वर्ष से कुछ कम पाई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 25.06.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक तथा सह-अभियुक्तों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। हालांकि, पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित उसके बयान में उसने कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी और सूरत गई थी तथा उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से आवेदक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। पीड़िता की आयु उसके विकिरणवैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार 17 से 18 वर्ष के मध्य पाई गई है, जबकि उसके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी आयु 15 वर्ष से कुछ कम पाई गई है। पीड़िता की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट भी उसके साथ बलात्कार किए जाने का समर्थन नहीं करती है। आवेदक दिनांक 25.06.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038 में प्रकाशित अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



है, के मामले में दिए गए निर्णय के आदेश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित है, के मामले में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक **राजदेव**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/जांच की कार्यवाही में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में अथवा किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 के संदर्भ में”, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत तथा (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित मामले में पारित आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

दिनांक : 14 अगस्त, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।